

कार्यालय नगर पालिक निगम सागर (म.प्र.)

क्रं./यो./न.नि./2026/17

सागर, दिनांक : 23.04.206

प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत क्रास सव्बिडी एकत्रित करने हेतु आर.टी.ओ. के समीप/ मेनपानी में विकसित LIG भूखण्ड, LIG फ्लेट, दुकाने, दुकानों के ऊपर छत एवं किशोर न्यायालय के समीप निर्मित EWS आवासों के आवंटन हेतु ई निविदा/ऑफ लाईन निविदा आमंत्रण

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम सागर को आवंटित भूमियों पर विकसित LIG भूखण्ड, LIG फ्लेट, दुकाने, दुकानों के ऊपर की छत एवं किशोर न्यायालय के समीप निर्मित EWS आवासों के आवंटन हेतु ऑफर (प्रस्ताव) मध्यप्रदेश नगर पालिक अधिनियम अचल सम्पत्ति अंतरण नियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत आवंटन करने हेतु ऑनलाईन ई-निविदा क्र. 2026_UAD_502665_1 / ऑफ लाईन द्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक/पात्र (EWS आवासों हेतु) व्यक्ति आफसेट कीमत का 25 प्रतिशत अमानत राशि आयुक्त नगर पालिक निगम सागर के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/ई ट्रांसफर रसीद के माध्यम से राशि जमा कर ऑनलाईन/आफलाईन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। ई-निविदा की शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में नगरपालिक निगम सागर के योजना शाखा में देखी जा सकती है। आवंटित की जा रही सम्पत्तियों की जानकारी निम्नानुसार है -

क्रं.	सम्पत्ति का प्रकार	क्षेत्रफल एवं निविदा का प्रकार	न्यूनतम आरक्षित मूल्य (आफसेट राशि)	सम्पत्तियों की संख्या	अनारक्षित वर्ग हेतु दुकान क्र0	एस.सी. सी.	एस.सी. महिला	एस.टी.	एस.टी. महिला	अन्य पि. वर्ग	अन्य पि. वर्ग महिला	विधवा	विकल ंग
1.	मेनपानी स्थित EWS आवासों के पास निर्मित दुकान क्र0 1 से 14 तक	4.72x3.55 वर्गमी. (ऑनलाईन)	8,00,000/-	15	01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 12 कुल 10	05, 13, 14 कुल 03	0	0	0	15 कुल 01	0	07 कुल 01	0
2.	EWS आवासों के पास निर्मित दुकान क्र0 15	4.72x5.00 वर्गमी. (ऑनलाईन)	11,00,000/-										
9.	दुकान के ऊपर छत	छत क्र0 1 - 84x5 वर्गमी. (मुख्य द्वार के पास) (ऑनलाईन)	1,00,80,000/-	04	छत क्र0 1, 3, 4 कुल छत 03	छत क्र0 2 कुल छत 01	0	0	0	0	0	0	0
		छत क्र0 2 - 5x4.5 वर्गमी. (EWS आवासों के पास स्पॉटर्स काम्प्लेक्स की तरफ) (ऑनलाईन)	5,40,000/-										
		छत क्र0 3 - 22.5x4.5 वर्गमी. (EWS आवासों के पास मध्य में) (ऑनलाईन)	24,30,000/-										
		छत क्र0 4 - 26.5x4.5 वर्गमी. (EWS आवासों के पास अंत में) (ऑनलाईन)	28,62,000/-										
10.	शेष LIG भूखण्ड	ऑफलाईन	15,00,000/-	मेनपानी स्थित पूर्व के विज्ञापनों में विक्रित सम्पत्तियों को छोड़कर शेष सम्पत्तियों का विक्रय प्रथम आओ प्रथम पाओ आधार पर । (आवश्यक अन्य जानकारी नगर पालिक निगम सागर की प्रोजेक्ट सेल से प्राप्त की जा सकती है)									
	शेष LIG फ्लेट प्रथम तल	ऑफलाईन	17,00,000/-										

	शेष LIG फ्लैट द्वितीय तल	ऑफलाईन	16,50,000/-										
	शेष LIG फ्लैट तृतीय तल	ऑफलाईन	16,00,000/-										
3.	व्यवसायिक परिसर में ब्लाक A छत	15.4x57.8 वर्गमी. द्वितीय तल (ऑनलाईन)	1,00,00,000/-	01	01	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	व्यवसायिक परिसर में ब्लाक B छत	2166 वर्गमी. द्वितीय तल (ऑनलाईन)	75,00,000/-	01	01	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	व्यवसायिक परिसर में ब्लाक B छत	5080 वर्गमी. तृतीय तल (ऑनलाईन)	1,20,00,000/-	01	01	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	व्यवसायिक परिसर में ब्लाक B छत	780 वर्गमी. चतुर्थ तल (ऑनलाईन)	25,00,000/-	01	01	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	व्यवसायिक परिसर में ब्लाक C शोरूम	15.6x9.4 वर्गमी. भूतल (ऑनलाईन)	1,00,00,000/-	02	02	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	व्यवसायिक परिसर में ब्लाक C छत	15.6x18.8 वर्गमी. प्रथम तल (ऑनलाईन)	90,00,000/-	01	01	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	किशोर न्यायालय एवं धर्मश्री के समीप	बहु मंजिला/डुलेक्स EWS आवास	प्रथम आओ प्रथम पाओ आधार पर पात्र हितग्राहियों को बहु मंजिला आवास हितग्राही अंशदान राशि रुपये 2.00 लाख एवं डूलेक्स EWS आवास हितग्राही अंशदान राशि रुपये 6.00 लाख का 25%										

शर्तें :-

- 1- किसी भी ऑफर मूल्य को स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम, सागर को होगा।
- 2- आरक्षित श्रेणी की सम्पत्तियों हेतु ऑफर मूल्य प्रस्तुत करने के लिये प्रस्ताव के साथ संबंधित श्रेणी का आरक्षित वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगी। आरक्षित श्रेणी की सम्पत्ति के लिए सिर्फ उसी श्रेणी के निविदाकारों की निविदा स्वीकार की जावेगी। अन्य वर्गों द्वारा निविदा दिये जाने पर जमा की गयी निविदा ऑनलाईन खोले जाने के वावजूद निरस्त मानी जावेगी।
- 3 (अ)- निविदा ऑफर के साथ ऑफसेट कीमत (न्यूनतम आरक्षित मूल्य) का 25 प्रतिशत राशि का डिमांड ड्रॉफ्ट (आयुक्त नगर पालिक निगम सागर के नाम से देय)/ई-ट्रांसफर रसीद के माध्यम से राशि जमा करना अनिवार्य होगा। जिसके वैध न होने की दशा में आपके द्वारा ऑन लाईन जमा किया गया आफर खोला नहीं जायेगा।
- 3 (ब)- प्रत्येक सम्पत्ति (EWS आवासों को छोड़कर) हेतु निविदा प्रपत्र शुल्क रु0 2000/- का डिमांड ड्रॉफ्ट (आयुक्त नगर पालिक निगम सागर के नाम से देय) देय)/ई-ट्रांसफर रसीद निगम जमा रसीद के माध्यम से राशि जमा करना अनिवार्य होगा। जिसके वैध न होने की दशा में आपके द्वारा ऑन लाईन जमा किया गया आफर खोला नहीं जायेगा।
उपरोक्त दोनों (अ) एवं (ब) भुगतान निविदाकार को नगर पालिक निगम सागर के निम्नानुसार खाते में ई-पेमेन्ट/आरटीजीएस के माध्यम से जमा कर सकते है।
खाताधारक का नाम - आयुक्त नगर पालिक निगम सागर (Commissioner, Municipal Corporation Sagar)
बैंक खाता संख्या - 50316606148, बैंक का नाम - इंडियन बैंक शाखा कटरा सागर, आईएफएससी कोड - IDIB000S512
इसके अलावा निविदाकार उपरोक्त दोनों (अ) एवं (ब) भुगतान डिमांड ड्रॉफ्ट या रसीद के माध्यम से भी कर सकते है। डिमांड ड्रॉफ्ट की स्थिति में दोनों राशियों के अलग अलग डिमांड ड्रॉफ्ट जमा करना अनिवार्य होगा।
उपरोक्तानुसार राशि डिमांड ड्रॉफ्ट/ई-पेमेन्ट/आरटीजीएस रसीद के माध्यम से जमा करने के उपरांत ऑनलाईन टेण्डर पोर्टल पर धरोहर एवं निविदा प्रपत्र राशि का भुगतान करने के चरण में दिये गये “EMD through BG/ST or EMD Exemption” विकल्प (ऑप्शन) का उपयोग कर 'Yes' का चयन कर धरोहर राशि एवं निविदा प्रपत्र की राशि के डिमांड ड्रॉफ्ट/ई-पेमेन्ट/आरटीजीएस रसीद की कॉपी अपलोड करना होगी।

- 4- एक से अधिक सम्पत्तियों की निविदा जमा करने की स्थिति में सभी सम्पत्तियों के ऑफर ऑनलाईन एक साथ जमा करना होगा। जबकि राशि (धरोहर व निविदा प्रपत्र शुल्क) के डिमांड ड्रॉफ्ट/ई-पेमेन्ट/आरटीजीएस रसीद एवं शपथ पत्र प्रत्येक सम्पत्ति के लिए अलग-अलग तकनीकी लिफाफे में ऑनलाईन के अतिरिक्त नगर पालिक निगम सागर के योजना शाखा में जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त तकनीकी लिफाफे में निम्नलिखित दस्तावेज प्रत्येक सम्पत्ति के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र सहित सिर्फ ऑनलाईन एवं भौतिक रूप में निर्धारित समयवधि तक जमा करना होगा। 01. आवेदन पत्र (निर्धारित प्रारूप में), 02. आधार कार्ड, 03. पेन कार्ड, 04. आरक्षित श्रेणी की सम्पत्ति हेतु आफर प्रस्तुत करते समय उसी श्रेणी का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बैध जाति प्रमाण पत्र, 05. 3(अ) एवं 3(ब) में जमा की गई राशि के डिमांड ड्रॉफ्ट/ई-पेमेन्ट/आरटीजीएस रसीद की प्रति, 06. 100/- रु. स्टाम्प पर शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप)
- 5- निविदा आवेदन प्रपत्र में सम्पत्ति का क्रमांक, आरक्षित श्रेणी, निविदा राशि के भुगतान का स्पष्ट उल्लेख बिना कॉट-छॉट के होना चाहिये। कॉट-छॉट युक्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं आवेदन पत्र, शपथ-पत्र तथा ऑनलाईन निविदा ऑफर में एक समान जानकारी होनी चाहिये। भिन्नता पाये जाने पर ऑफर निरस्त कर दिया जावेगा।
- 6- सम्पत्ति की ऑफर की गई राशि सिर्फ ऑनलाईन प्राइज बिड में ही स्वीकार की जावेगी। फिजिकल रूप में कहीं भी ऑफर राशि का उल्लेख किये जाने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी एवं निरस्त मानी जावेगी।
- 7- निविदाकार द्वारा सम्पत्ति हेतु ऑफर की जाने वाली राशि उस सम्पत्ति के न्यूनतम आरक्षित मूल्य (ऑफसेट कीमत) के बराबर या अधिक होनी चाहिए, अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी एवं निरस्त मानी जावेगी।
- 8- निविदा एवं आरक्षण से संबंधित विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय में नगर पालिक निगम सागर की योजना शाखा से प्राप्त की जा सकती है।
- 9- निविदा की अन्य शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें इस निविदा का भाग होगी।
- 10- ऑनलाईन निविदा दिनांक 27.04.2026 समय सुबह 10:30 से दिनांक 01.06.2026 समय शाम 05:30 तक सिर्फ ऑनलाईन बेवसाइट www.mptenders.gov.in द्वारा **Directorate Urban Administration and Development** विभाग के अंतर्गत क्रय किये जा सकते हैं।
- 11- डिमांड ड्रॉफ्ट/ई-पेमेन्ट/आरटीजीएस रसीद एवं शपथ पत्र की मूल प्रति दिनांक 02.06.2026 समय शाम 05:30 तक नगर पालिक निगम सागर के योजना शाखा में जमा करना अनिवार्य होगा।
- 12- संपूर्ण राशि एक मुश्त जमा करने वाले आवेदकों/हितग्राहियों को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
सागर
सागर, दिनांक : 23.04.2026

पृष्ठा.क्रं./यो./न.नि./2026/17
प्रतिलिपि :-

- 1- माननीय महापौर, नगर पालिक निगम, सागर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 2- माननीय अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, सागर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 3- कार्यालय अधीक्षक, नगर पालिक निगम, सागर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4- जनसम्पर्क प्रभारी, नगर पालिक निगम, सागर की ओर प्रादेशिक एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
- 5- एम.आई.एस. एक्सपर्ट नगर पालिक निगम, सागर की ओर ई-निविदा जारी करने आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 6- कार्यालय नगर पालिक निगम सागर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
सागर

कार्यालय नगर पालिक निगम सागर (म.प्र.)

निविदा की तिथियां

Purchase of Tender Start Date:	27.04.2026 10:30	Bid Submission Start Date:	11.05.2026 10:30
Purchase of Tender End Date:	01.06.2026 17:30	Bid Submission End Date:	01.06.2026 17:30
Physical Submission End Date: (Only Demand Draft/RTGS Receipt and Affidavite)	02.06.2026 17:30	Mandatory Submission (Envelope A) Open Date:	04.06.2026 15:00
		Financial Bid (Envelope C) Open Date:	To Be Notify

आयुक्त
नगर पालिक निगम
सागर

कार्यालय नगर पालिक निगम सागर

प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत क्रॉस सब्सिडी एकत्रित करने हेतु आर.टी.ओ. के समीप/ मेनपानी में विकसित LIG भूखण्ड, LIG फ्लेट, दुकाने, दुकानों के ऊपर छत एवं किशोर न्यायालय के समीप निर्मित EWS आवासों के आवंटन हेतु ई निविदा/ऑफ लाईन निविदा आमंत्रण

आवेदन पत्र

(प्रत्येक सम्पत्ति के लिये अलग-अलग आवेदन जमा करना होगा)

प्रति,

आयुक्त महोदय,
नगर पालिक निगम
सागर म.प्र.

विषय— प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत क्रॉस सब्सिडी एकत्रित करने हेतु आर.टी.ओ. के समीप/ मेनपानी में विकसित LIG भूखण्ड, LIG फ्लेट, दुकाने, दुकानों के ऊपर छत एवं किशोर न्यायालय के समीप निर्मित EWS आवासों के आवंटन हेतु ई निविदा/ऑफ लाईन निविदा आमंत्रण

संदर्भ— आपका विज्ञापन क्र०/लो.क.यो./न.नि./2026/06 दि. 13.04.2026 एवं ई निविदा क्र 2026_UAD_ _1

आपके द्वारा संदर्भित विज्ञापन में प्रकाशित निविदा सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत क्रॉस सब्सिडी एकत्रित करने हेतु आर.टी.ओ. के समीप/ मेनपानी में विकसित LIG भूखण्ड, LIG फ्लेट, दुकाने, दुकानों के ऊपर छत एवं किशोर न्यायालय के समीप निर्मित EWS आवासों के आवंटन हेतु ई निविदा/ऑफ लाईन निविदा आमंत्रण में पंजीयन कराना एवं ऑफर जमा करना चाहता/चाहती हूं। ऑफर से संबंधित मेरा पूर्ण विवरण निम्नानुसार है —

1. पूरा नाम —
2. पिता/पति का नाम —
3. आयु —
4. व्यवसाय —
5. वार्षिक आय —
6. जाति/श्रेणी —

(अ.जा./अजजा./अ.पि.व./विकलांग/अनारक्षित)

7. आवेदक का लिंग (महिला/पुरुष) —
8. आवेदक का स्थायी पता—
- एवं मोबाइल नं.

9. आवेदक द्वारा आवेदित सम्पत्ति का क्रमांक एवं प्रकार (भूखण्ड/फ्लेट/दुकान/छत)

10. आवेदक द्वारा आवेदित सम्पत्ति हेतु जमा की गई धरोहर राशि एवं निविदा प्रपत्र शुल्क का ब्यौरा

राशि का प्रकार	डी.डी. क्र./ई ट्रांसफर नं./रसीद नं.	दिनांक	राशि	विवरण
धरोहर राशि				
निविदा प्रपत्र शुल्क				
कुल राशि				

नोट— प्रत्येक सम्पत्ति के लिये धरोहर राशि एवं निविदा प्रपत्र शुल्क हेतु पृथक पृथक डिमाण्ड ड्राफ्ट/ई ट्रांसफर रसीद जमा करना होंगे।

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरी जानकारी अनुसार सही है एवं मेरे द्वारा राशि स्थानांतरण सत्यापित कर ली गई है।

दिनांक —

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान —

आवेदक का नाम

शपथ पत्र

प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत क्रास सब्सिडी एकत्रित करने हेतु आर.टी.ओ. के समीप/ मेनपानी में विकसित LIG भूखण्ड, LIG फ्लेट, दुकाने, दुकानों के ऊपर छत एवं किशोर न्यायालय के समीप निर्मित EWS आवासों के आवंटन हेतु ई निविदा/ऑफ लाईन निविदा आमंत्रण

मैं आयु वर्ष पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री निवासी
..... निम्न कथन/घोषणा शपथपूर्वक करता/करती हूँ कि –

1. मेरे द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत क्रास सब्सिडी एकत्रित करने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत क्रास सब्सिडी एकत्रित करने हेतु आर.टी.ओ. के समीप/ मेनपानी में विकसित LIG भूखण्ड, LIG फ्लेट, दुकाने, दुकानों के ऊपर छत एवं किशोर न्यायालय के समीप निर्मित EWS आवासों के आवंटन हेतु ई निविदा/ऑफ लाईन निविदा आमंत्रण में से सम्पत्ति क्रमांक एवं सम्पत्ति का प्रकार के पंजीयन हेतु आवेदन किया गया है।
2. यह कि मेरे द्वारा धानमंत्री आवास योजनान्तर्गत क्रास सब्सिडी एकत्रित करने हेतु आर.टी.ओ. के समीप/ मेनपानी में विकसित LIG भूखण्ड, LIG फ्लेट, दुकाने, दुकानों के ऊपर छत एवं किशोर न्यायालय के समीप निर्मित EWS आवासों के आवंटन हेतु ई निविदा/ऑफ लाईन निविदा आमंत्रण में विक्रय हेतु जारी निविदा शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है एवं सभी शर्तों से सहमत हूँ।
3. यह कि मेरे द्वारा धानमंत्री आवास योजनान्तर्गत क्रास सब्सिडी एकत्रित करने हेतु आर.टी.ओ. के समीप/ मेनपानी में विकसित LIG भूखण्ड, LIG फ्लेट, दुकाने, दुकानों के ऊपर छत एवं किशोर न्यायालय के समीप निर्मित EWS आवासों के आवंटन हेतु ई निविदा/ऑफ लाईन निविदा आमंत्रण के आवंटन हेतु अनुबंध की शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है एवं अनुबंध पत्र से मैं सहमत हूँ।
4. यह कि मेरे द्वारा आवेदित सम्पत्ति हेतु जमा की गई धरोहर राशि एवं निविदा प्रपत्र शुल्क विज्ञापन में दर्शित आयुक्त, नगर पालिक निगम सागर के खाते में स्थानांतरित कर दी गई है एवं राशि स्थानांतरित होने का सत्यापन बैंक के माध्यम से कर लिया है।
5. यह कि बिन्दु क्र. 4 की राशि किसी भी कारण से आयुक्त, नगर पालिक निगम सागर के खाते में स्थानांतरित न होने की दशा में मेरा आवेदन स्वतः निरस्त माना जाये।
6. यह कि उक्त चरण क्र. 1 से 5 में वर्णित जानकारी असत्य पाई जाने की दशा में, उत्तरदायित्व मेरा स्वतः का रहेगा तथा शासन द्वारा वैधानिक कार्यवाही किये जाने पर मैं दण्ड का भागी रहूंगा/रहूंगी।

स्थान

दिनांक

शपथगृहीता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथगृहीता सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र के चरण क्र. 1 से 6 में उल्लेखित तथ्य व जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सही व सत्य है जिसका सत्यापन मेरे द्वारा आज दिनांक को किया गया।

स्थान

दिनांक

शपथगृहीता

कार्यालय नगर पालिक निगम सागर

प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत क्रास सब्सिडी एकत्रित करने हेतु मेनपानी / आर.टी.ओ. के समीप में विकसित दुकाने तथा दुकानों के ऊपर की छत के आवंटन हेतु ई निविदा आमंत्रण

सम्पत्ति का क्रमांक	सम्पत्ति का प्रकार	सम्पत्ति का क्रमांक	सम्पत्ति आरक्षण की श्रेणी	न्यूनतम आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	निविदा जमा करते समय कुल जमा की जाने वाली राशि
1	दुकान 3.5x4.7 वर्गमी. - क्र0 1 अनारक्षित	1	अनारक्षित	800000	200000	2000	202000
2	दुकान 3.5x4.7 वर्गमी. - क्र0 2 अनारक्षित	2	अनारक्षित	800000	200000	2000	202000
3	दुकान 3.5x4.7 वर्गमी. - क्र0 3 अनारक्षित	3	अनारक्षित	800000	200000	2000	202000
4	दुकान 3.5x4.7 वर्गमी. - क्र0 4 अनारक्षित	4	अनारक्षित	800000	200000	2000	202000
5	दुकान 3.5x4.7 वर्गमी. - क्र0 5 अनुसूचित जाति	5	अनुसूचित जाति	800000	200000	2000	202000
6	दुकान 3.5x4.7 वर्गमी. - क्र0 6 अनारक्षित	6	अनारक्षित	800000	200000	2000	202000
7	दुकान 3.5x4.7 वर्गमी. - क्र0 7 विधवा	7	विधवा	800000	200000	2000	202000
8	दुकान 3.5x4.7 वर्गमी. - क्र0 8 अनारक्षित	8	अनारक्षित	800000	200000	2000	202000
9	दुकान 3.5x4.7 वर्गमी. - क्र0 9 अनारक्षित	9	अनारक्षित	800000	200000	2000	202000
10	दुकान 3.5x4.7 वर्गमी. - क्र0 10 अनारक्षित	10	अनारक्षित	800000	200000	2000	202000
11	दुकान 3.5x4.7 वर्गमी. - क्र0 11 अनारक्षित	11	अनारक्षित	800000	200000	2000	202000
12	दुकान 3.5x4.7 वर्गमी. - क्र0 12 अनारक्षित	12	अनारक्षित	800000	200000	2000	202000
13	दुकान 3.5x4.7 वर्गमी. - क्र0 13 अनुसूचित जाति	13	अनुसूचित जाति	800000	200000	2000	202000
14	दुकान 3.5x4.7 वर्गमी. - क्र0 14 अनुसूचित जाति	14	अनुसूचित जाति	800000	200000	2000	202000
15	दुकान 5.0x4.7 वर्गमी. - क्र0 15 अन्य पिछड़ा वर्ग	15	अन्य पिछड़ा वर्ग	1100000	275000	2000	277000
16	छत क्र0 1- 84x5 वर्गमी. - अनारक्षित	R1	अनारक्षित	10080000	2520000	2000	2522000
17	छत क्र0 2- 5x4.5 वर्गमी. - अनुसूचित जाति	R2	अनुसूचित जाति	540000	135000	2000	137000
18	छत क्र0 3- 22.5x4.5 वर्गमी. - अनारक्षित	R3	अनारक्षित	2430000	607500	2000	609500
19	छत क्र0 4- 26.5x4.5 वर्गमी. - अनारक्षित	R4	अनारक्षित	2862000	715500	2000	717500
20	15.4x57.8 वर्गमी. द्वितीय तल व्यवसायिक परिसर में ब्लाक A छत - आर.टी.ओ.	R5	अनारक्षित	10000000	2500000	2000	2502000
21	2166 वर्गमी. द्वितीय तल व्यवसायिक परिसर में ब्लाक B छत - आर.टी.ओ.	R6	अनारक्षित	7500000	1875000	2000	1877000
22	5080 वर्गमी. तृतीय तल व्यवसायिक परिसर में ब्लाक B छत - आर.टी.ओ.	R7	अनारक्षित	12000000	3000000	2000	3002000
23	780 वर्गमी. चतुर्थ तल व्यवसायिक परिसर में ब्लाक B छत - आर.टी.ओ.	R8	अनारक्षित	2500000	625000	2000	627000
24	15.6x9.4 वर्गमी. भूतल व्यवसायिक परिसर में ब्लाक C शोरूम - आर.टी.ओ.	S1	अनारक्षित	10000000	2500000	2000	2502000
25	15.6x9.4 वर्गमी. भूतल व्यवसायिक परिसर में ब्लाक C शोरूम - आर.टी.ओ.	S2	अनारक्षित	10000000	2500000	2000	2502000
26	15.6x18.8 वर्गमी. प्रथम तल व्यवसायिक परिसर में ब्लाक C छत - आर.टी.ओ.	R9	अनारक्षित	9000000	2250000	2000	2252000

आयुक्त
नगर पालिक निगम सागर

प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत क्रास सब्सिडी एकत्रित करने हेतु आर.टी.ओ. के समीप/ मेनपानी में विकसित LIG भूखण्ड, LIG फ्लेट, दुकाने, दुकानों के ऊपर छत एवं किशोर न्यायालय के समीप निर्मित EWS आवासों के आवंटन हेतु ई निविदा/ऑफ लाईन निविदा आमंत्रण के विक्रय हेतु जारी ई निविदा की अन्य शर्तें निम्नानुसार है

- (1) उपरोक्त संपत्तियों का विक्रय लीज होल्ड आधार पर किया जा रहा है।
- (2) उपरोक्त संपत्ति का नामांतरण नियमानुसार शुल्क देय कर किया जा सकेगा।
- (3) अचल सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 2016 की समस्त शर्तें आवेदक को मान्य होगी एवं संशोधित नियम दिनांक 4 मई 2021 की शर्तें भी आवेदक को मान्य होगी।
- (4) नगर निगम के समस्त कर निर्धारित अवधि में चुकाना होगा, अन्यथा निर्धारित दाण्डिक प्रभार देय होगा।
- (5) संपत्ति के संरचनात्मक भागों के किसी भाग में कोई अतिरिक्त कार्य करने या परिवर्तन करने की पात्रता नहीं होगी, जो संरचना की सुरक्षा को प्रभावित करती हो तथा वह इसे उसी स्थिति में रखेगा, जैसा कि उसे प्रदान किया गया हो।
- (6) यदि संपत्ति को किसी प्राकृतिक आपदा या दंगाग्रस्त भीड़ या अन्य किसी दुर्घटना जो मानव नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण क्षति होती है तो इसकी हुई क्षति को सम्पत्तिधारी को ही वहन करना होगा। इसके लिए आयुक्त नगर पालिक निगम सागर किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगी।
- (7) संपत्ति का रखरखाव एवं आवश्यक मरम्मत सम्पत्तिधारी द्वारा किया जाएगा।
- (8) आयुक्त नगर पालिक निगम सागर लोकहित में उक्त संपत्ति का अंतरण निरस्त कर सकेगा और व्यवस्थापन वैकल्पिक स्थल पर कर सकेगा।
- (9) आयुक्त नगर पालिक निगम सागर द्वारा अधिकृत कर्मचारी द्वारा उसका निरीक्षण किया जायेगा।
- (10) सम्पत्तिधारी को किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थों या किन्हीं अन्य पदार्थों के संग्रहण की अनुमति नहीं होगी, जो उसकी सम्पत्ति तथा आसपास की संपत्तियों के लिए असुरक्षित हों। सिंगल यूज पॉलीथिन एवं प्लास्टिक सामग्री का निर्माण, भण्डारण एवं विक्रय नहीं होगा।
- (11) सम्पत्तिधारी किसी ऐसी गतिविधि का क्रियान्वयन नहीं करेगा, जो विधि के अनुसार अनुज्ञेय नहीं है और आसपास के रहवासियों अथवा आमजन की शांति तथा सुरक्षा को प्रभावित करती हो।
- (12) सम्पत्ति का सम्पत्तिधारी अतिरिक्त अतिक्रमण अथवा अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा।
- (13) आयुक्त नगर पालिक निगम सागर लोकहित में संपत्ति में सुधार करवाएगा अथवा सम्पत्तिधारी को सम्पत्ति में सुधार करने के लिए निर्देश दे सकेगा।

- (14) सम्पत्तिधारी को विद्युत संयोजन नियमानुसार प्राप्त करना होगा एवं बिजली बिल समय से स्वयं जमा कराकर रसीद सुरक्षित रखना होगी।
- (15) सम्पत्तिधारी द्वारा इन निर्मित बनाये गये नियमों और उसके अधीन बनाए गए उपबंधों और अनुबंध की शर्तों के अनुपालन में चूक करने की दशा में संपत्ति का अंतरण निरस्त किया जा सकेगा।
- (16) केन्द्र सरकार अथवा राज्य शासन द्वारा आरोपित कर/शुल्क/अन्य प्रभारों का भुगतान सम्पत्तिधारी द्वारा किया जाएगा।
- (17) उसके स्वयं एवं परिवार के नाम किसी भी प्रकार का कर / किराया बकाया नहीं होना चाहिए कर / किराया बकाया होने की जानकारी प्राप्त होने पर निविदा निरस्त करते हुये प्रतिभूति राशि में से बकाया राशि का समायोजन कर लिया जावेगा।
- (18) निविदा के साथ पृथक लिफाफे में निर्धारित अमानत राशि/ प्रतिभूति राशि का बैंक ड्राफ्ट / ई-पेमेंट रसीद/आर.टी.जी.एस. आयुक्त, नगर पालिक निगम सागर के नाम से देय हो रखा जावेगा। जिसकी चेक लिस्ट बनाकर देना होगी।
- (19) निविदा लिफाफे पर सम्पत्ति क्रमांक एवं सम्पत्ति का प्रकार अमानत राशि का विवरण आरक्षित श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख किया जावें। अस्पष्ट एवं ओवरराइटिंग वाली निविदायें स्वीकार नहीं होगी।
- (20) निविदा स्वीकृति/अस्वीकृति का अधिकार प्रशासक परिषद्/ नगर पालिक निगम परिषद् सागर के पास सुरक्षित रहेगा। जिस पर कोई वाद दायर नहीं किया जा सकेगा।
- (21) प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत क्रास सब्सिडी एकत्रित करने हेतु आर.टी.ओ. के समीप/ मेनपानी में विकसित LIG भूखण्ड, LIG प्लेट, दुकाने, दुकानों के ऊपर छत एवं किशोर न्यायालय के समीप निर्मित EWS आवासों के आवंटन हेतु ई निविदा/ऑफ लाईन निविदा आमंत्रण के विक्रय हेतु आन लाईन निविदायें आमंत्रित की जा रही है। उच्चतम निविदादाताकर्ता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् निविदा स्वीकृति दिनांक से 21 दिवस में विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी। शेष राशि निविदा दर की अंतिम स्वीकृति के संबंध में लिखित सूचना प्राप्त होने के दिनांक से 120 दिन के अन्दर जमा करनी होगी, तभी अधिपत्य दिया जाकर पंजीयन कराया जा सकेगा। समयावधि में राशि जमा न करने पर जमा अमानत राशि राजसात करते हुए सम्पत्ति का आवंटन अमान्य करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित की जावेगी।
- (22) निविदा मूल्य के बाद निर्धारित जी.एस.टी. अलग से देना होगा।
- (23) सम्पत्ति का हस्तान्तरण/नाम परिवर्तन उच्चतम निविदा मूल्य की 2.0 प्रतिशत राशि जमा कर किया जा सकेगा।
- (24) समय-समय पर सम्पत्ति का निरीक्षण करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम सागर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी को होगा।
- (25) अचल सम्पत्ति अंतरण नियम 2016 के समस्त नियम, शर्तें एवं उसमें दिये गये प्रावधान तथा संशोधन नियम दिनांक 4 मई 2021 इस भाग में सम्मिलित रहेंगे।
- 26) अनुबंध-पत्र की शर्तों में संशोधन का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, सागर को रहेगा।

- (27) आरक्षित वर्ग की सम्पत्ति का हस्तान्तरण केवल उसी श्रेणी में ही हो सकेगा।
- (28) यदि कोई निविदाकर्ता, निविदा स्वीकृति उपरान्त अपनी राशि वापिस चाहता है तो उसे वापिस करने या वापिस न करने के संबंध में निर्णय आयुक्त, नगर पालिक निगम, सागर का रहेगा।
- (29) अनुबंध-पत्र एवं निविदा में दी गई शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर आयुक्त, नगर पालिक निगम, सागर को सम्पत्ति आवंटन निरस्त कर पुनः प्रवेश की कार्यवाही के पूर्ण अधिकार होंगे जिसे किसी भी न्यायालय में सिविल वाद प्रस्तुत करने का अधिकार सम्पत्तिधारी को नहीं होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
सागर